



छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर 492002

दूरभाष : 0771-2880911, 2880912, वेबसाइट : www.cgsec.gov.in, ई-मेल : cgsec.cg@nic.in

क्रमांक/एफ-46-5/न.पा./प्रतीक मुद्रण/2019/3430

नवा रायपुर, दिनांक 23/01/2025

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन),
जिला-समस्त

विषय:-नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन 2025 हेतु प्रतीक चिन्ह के उपयोग के संबंध में।

संदर्भ:- 1. आयोग का पत्र क्र 1992, दिनांक 23.10.2024

2. आयोग का पत्र क्र. 2687, दिनांक 19.12.2024

---00---

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। आयोग द्वारा संदर्भित पत्र क्र.1 के अनुसार पार्षद निर्वाचन हेतु प्रतीक चिन्ह (परिशिष्ट-अट्टाईस) का मुद्रण कर प्रदाय किया गया था। नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन 2025 हेतु महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराये जाने के कारण उक्त प्रतीक चिन्ह में परिवर्तन किया गया है जिसे संदर्भित पत्र क्र.-2 के माध्यम से आपको पूर्व में अवगत कराया जा चुका है।

अतः संदर्भित पत्र क्र.-2 में जारी निर्देश अनुसार ही प्रतीक चिन्ह का उपयोग सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

सेचिव

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

नवा रायपुर अटल नगर



छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर 492002

दूरभाष : 0771-2880911, 2880912, वेबसाइट : www.cgsec.gov.in, ई-मेल : cgsec.cg@nic.in

—: निर्देश :—

दिनांक 19/12/2024

निर्वाचन प्रतीकों का निर्धारण

क्रमांक एफ 58-01/तीन (दो)/न.पा./प्रतीक/2024/2687 भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश 1968 के अनुसरण में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों, रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों और मुक्त प्रतीकों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाली, यथा संशोधित दिनांक 27 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी किया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने इसी अनुक्रम में आयोग के आदेश क्र. एफ-58-01/तीन(दो)/न.पा./प्रतीक/2018/1591 दिनांक 20.09.2019 को यथा संशोधित कर अद्यतन करने का निर्णय लिया है।

2. अतः छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम 1956 की धारा 14(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32(2) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 31(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी उपर्युक्त आदेश दिनांक 20 सितंबर 2019 को अधिक्रमित कर आयोग एतद् द्वारा विनिर्दिष्ट करता है :-

नगरपालिक निगम के महापौर, नगरपालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष/पार्षद के लिए निर्वाचन प्रतीक

सारिणी-I में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल और उनके लिए आरक्षित प्रतीक

सारिणी-II में मान्यता प्राप्त राज्यीय दल और उनके लिए आरक्षित प्रतीक

सारिणी-III में अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल

भारत निर्वाचन
आयोग के
अधिसूचना
अनुसार

सारिणी - IV में मुक्त प्रतीक :- आयोग द्वारा विहित मुक्त प्रतीक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश 1968 के अधीन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित प्रतीक से अलग होंगे।

82

भाग-एक
सारिणी-IV-मुक्त प्रतीक
नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका/नगर पंचायत के अध्यक्ष
के लिए निर्वाचन प्रतीक

क्रमांक	प्रतीक
1	स्लेट
2	कांच का गिलास
3	ट्यूब लाईट
4	स्टूल
5	रोड रोलर
6	सीटी
7	प्रेशर कुकर
8	गले की टाई
9	बेन्च
10	अंगूठी
11	गैस सिलेण्डर
12	हारमोनियम
13	डीजल पम्प
14	चक्की
15	मेज
16	सेव
17	केतली
18	फ्राक
19	बाल्टी
20	द्वार घंटी
21	कुंआ
22	ऑटो-रिक्शा
23	फलों से युक्त टोकरी
24	एअरकंडीस्नर
25	केक

क्रमांक	प्रतीक
26	चिमनी
27	हीरा
28	बांसुरी
29	अंगूर
30	माइक
31	मटर
32	सोफा
33	भाला फेंक
34	ट्रक
35	टायर
36	छड़ी
37	बटुआ
38	खिड़की
39	ईट
40	बेल्ट
41	केल्कूलेटर
42	कॉरपेट
43	शतरंज बोर्ड
44	लैपटॉप
45	कैरम बोर्ड
46	आईस क्रीम
47	पेट्रोल पम्प
48	रेफ्रीजरेटर
49	रूम हीटर
50	सीसीटीवी कैमरा

२

भाग-दो
सारिणी-IV-मुक्त प्रतीक
नगरपालिक निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत के पार्श्वद
के लिए निर्वाचन प्रतीक

क्रमांक	प्रतीक
1	सिलाई की मशीन
2	ब्लैक बोर्ड
3	टेलीफोन
4	लैटर बाक्स
5	अलमारी
6	कढ़ाई
7	गुब्बारा
8	बल्ला
9	मोतियों का हार
10	साईकिल पम्प
11	कोट
12	नारियल फार्म
13	चारपाई
14	कटहल
15	वायलिन
16	बैटरी टार्च
17	बिस्कुट
18	कैमरा
19	फूलगोभी
20	डिश एंटीना

क्रमांक	प्रतीक
21	बिजली का खंभा
22	गैस का चूल्हा
23	हाथ गाडी
24	तकिया
25	हांडी
26	आरी
27	स्कूल का बस्ता
28	पानी का जहाज
29	झूला
30	चिमटा
31	तरबूज
32	ऊन व सिलाई
33	हेलमेट
34	कम्प्यूटर
35	टैन्ट
36	मिक्शी
37	रूम कुलर
38	स्वीच बोर्ड
39	टी.वी. रिमोट
40	टेलीविजन



(डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र मुरे)

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग,
नवा रायपुर

पृ.क्र. एफ 58-01/तीन (दो)/न.पा./प्रतीक/2024/2688 रायपुर, दिनांक 19/12/24

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
2. संभागीय आयुक्त, संभाग रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा (अम्बिकापुर) एवं बस्तर (जगदलपुर) को सूचनार्थ।

3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला-समस्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. रिटर्निंग आफिसर नगरपालिका निर्वाचन (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संचालक, शासकीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के सामने नवा रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया आदेश छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन कर उसकी प्रति आयोग को उपलब्ध करावें।



सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग,
नवा रायपुर